Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 1 | JANUARY 2024

भारतीय राजनीतिक पदानुक्रम और पंचायत राज व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन

अजय सीरवी [1]

[1] **सहायक आचार्य (विद्या संबल), डां. बी. आर. अम्बेडकर राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय, बिलाड़ा, जोधपुर.**

ABSTRACT:

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार भारत के प्रतिद्वंद्वी लोगों को वास्तविक स्वराज प्रदान करने, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारियों आदि को मिटाने के लिए पंचायती राज संस्था की स्थापना करने के लिए समर्पित थी। संवैधानिक संदर्भ ने स्वतंत्रता के बाद के दशकों से ही देश में पंचायती राज को लागू करने के प्रयासों को प्रेरित किया। हालांकि, देश के संवैधानिक ढांचे में पंचायती राज के विचार को जगह देने के लिए गांधी की जिद ने किसानों को 26 जनवरी 1950 को संविधान के उद्घाटन के साथ पंचायती राज को लागू करने के लिए सरकार की किसी अनिवार्य मंजूरी के बिना संविधान के भाग प्ट में इसे रखकर पंचायती राज के सपने को अपेक्षाकृत महत्वहीन स्थान देने के लिए राजी कर लिया। नतीजतन, संविधान के उद्घाटन के लगभग एक दशक बाद तक, संविधान के अनुच्छेद 40 द्वारा सुझाए गए जनादेश को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इस पत्र का उद्देश्य राजनीतिक प्रणाली और इसके साथ आने वाली पदानुक्रम और भारत में पंचायती राज प्रणाली के अंतिम विकास का पता लगाना है।

KEYWORDS:

भारतीय राजनीतिक, पदानुक्रम, पंचायती राज, राजनीतिक सुधार, स्थानीय स्वशासन।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
29th January 2024	30th January 2024

परिचय

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए व्यक्तियों और स्वैच्छिक संघों द्वारा अनेक प्रयास किए गए। भारत में विकसित विकेंद्रीकरण के स्वरूप में राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन या विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण या हस्तांतरण दोनों शामिल हैं। इस प्रकार लोकतंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण की डिग्री राजनीतिक–आर्थिक उद्देश्य और प्रशासनिक तंत्र को विनियमित करने के लिए तैयार की गई परिचालन प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पहचान पंचायती राज से की जाती है। विकास की आवश्यकताएं और प्रशासनिक तंत्र के लोकतंत्रीकरण के लिए चिंता देश में राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थान की भूमिका निर्धारित करती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वास्तविक अर्थ और महत्व मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के प्रकाश में समझा जा सकता है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उद्देश्य और स्वरूप को निर्धारित करते हैं। भारत में सत्तावादी राजनीतिक परंपरा के अलावा संस्कृति, भाषा, जाति समूह और आर्थिक स्तरीकरण के मामले में अधिक विविधताएं हैं। साथ ही अनुपात के उन्मूलन की मांग और बड़े पैमाने पर प्रयासों की आवश्यकता है। यह चुनौतीपूर्ण स्वाद व्यापक जनसमूह की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक प्राथमिकताओं और बढ़ती सार्वजनिक भागीदारी पर जोर देता है।

विकेंद्रीकरण की अवधारणा, जैसा कि भारत में लागू होती है, राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण और विकास के अपने मिश्रित लक्ष्यों के साथ, यह उन कार्यक्रमों और प्रवृत्तियों को संदर्भित करता है, जिसका तात्पर्य सरकारी शक्ति और जिम्मेदारियों का अवमूल्यन, राजनीतिक संस्थाओं का विकेंद्रीकरण, स्थानीय नेतृत्व का विकास और आर्थिक आधुनिकीकरण के प्रयासों को मजबूत करना है। इसका अर्थ है स्थानीय स्तर पर स्थानीय संस्था या स्थानीय सरकार को विशेष अधिकारों का अधिकार ताकि वे अपने स्तर पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसका बहुत महत्व है। महात्मा गांधी ने भी विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। स्वतंत्र भारत ने भी लोकतंत्र के कारण इस अवधारणा को अपनाया था।

दूसरे शब्दों में, विकेन्द्रीकरण एक निश्चित तरीके से शक्ति को पुनः आवंटित करने के लिए छत्र शब्द है और हस्तांतरण और विकेंद्रीकरण दो अलग–अलग तरीके हैं जिनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। विकेंद्रीकरण को "राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर लोक प्रशासन के केंद्र से नौकरशाही पदानुक्रम के निचले स्तर पर लोक प्रशासन इकाइयों या समान स्तर या उससे निचले स्तर पर निर्वाचित निकायों को सत्ता का हस्तांतरण" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारत में लोकतंत्र का प्रावधान 1950 में पाया गया। भारत में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जय प्रकाश नारायण ने लोकतंत्र को ऐसी सरकार के रूप में वर्णित किया जो "लोगों को शक्ति" देती है। गांधी ने कहा, "सच्चा लोकतंत्र शीर्ष पर बैठे कुछ लोगों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। इसे हर गांव के लोगों द्वारा नीचे से चलाया जाना चाहिए।" शीर्ष पर लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि इसे नीचे से नहीं बनाया जाता। भारत में पंचायती राज संस्थाएँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मामले में दुनिया के लिए अनुकरणीय उदाहरण स्थापित कर सकती हैं।

विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण के माध्यम से स्थानीय लोगों के सशक्तीकरण की ओर ले जाता है विकेंद्रीकृत शासन स्वयं सहायता समूहों जैसे जमीनी स्तर के संगठनों को शामिल करके स्थानीय पहलों और प्रथाओं का दोहन करना चाहता है प्रतिनिधि लोकतंत्र और भागीदारी लोकतंत्र विकेंद्रीकृत शासन के माध्यम से संभव हो जाता है। विकेंद्रीकृत शासन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इंटरैक्टिव नीति निर्माण है जो विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की ओर ले जाती है।

इंटरैक्टिव नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जहां सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र जैसे निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संगठन और दबाव समूह सभी निर्णय लेने में भाग लेते हैं ताकि मुद्दे को प्रभावित किया जा सके और विकल्प सुझाए जा सकें। इसलिए, विकेंद्रीकृत शासन विकास की एक वैकल्पिक रणनीति है जो लोगों पर केंद्रित, भागीदारी और नीचे से ऊपर की ओर है लोगों को सरकार क्या करती है, इसकी बेहतर समझ होगी। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत का विस्तार है जिसका उद्देश्य लोगों को सत्ता के हस्तांतरण के माध्यम से लोगों की भागीदारी, अधिकार और स्वायत्तता के क्षेत्र को व्यापक बनाना है

उद्देश्यः

सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में एक आधारशिला रहा है, इस पत्र का उद्देश्य इस विशेषता को अधिक विस्तार से देखना है

राजनीतिक पदानुक्रम और पंचायती राज

राजनीतिक निर्णय लेने, वित्तीय नियंत्रण और प्रशासनिक प्रबंधन के तीन आयामों में शीर्ष स्तर से निम्नतम स्तर तक प्रतिनिधि संगठन। यह स्थानीय कल्याण के लिए अपनी खुद की परियोजनाएं शुरू करने और उन्हें स्वायत्त तरीके से निष्पादित करने और संचालित करने की शक्ति के लोगों के अधिकार के लिए खड़ा है। इसलिए विकेंद्रीकरण प्रमुख तंत्र है जिसके माध्यम से लोकतंत्र सही मायने में प्रतिनिधि और उत्तरदायी बनता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में विकेंद्रीकृत नियोजन पर उचित विचार किया गया है। दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि राज्यों को पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने की

आवश्यकता है जो उन्हें संविधान में परिकल्पित सरकार के संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए, उन्हें पर्याप्त वित्त, कार्मिक और प्रशासनिक समर्थन के साथ समर्थित किया जाना चाहिए। पंचायत द्वारा अपने संसाधनों को जुटाना नौवीं पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक होगा।

कुछ राज्यों ने जिला योजनाएँ तैयार कीं, लेकिन इन योजनाओं ने विकेंद्रीकृत नियोजन की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। जहाँ तक विकेंद्रीकृत नियोजन का सवाल है, आगे की योजना की अवधि एक मील का पत्थर थी। इस अवधि के दौरान, विकेंद्रीकृत नियोजन की मांग प्रमुखता से उठी और राज्यों को उनकी नियोजन व्यवस्था को मजबूत करने और इसे जिला स्तर तक विस्तारित करने में सहायता करने के लिए एक केंद्रीय योजना शुरू की गई। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास ब्लॉक स्तरीय नियोजन पर कार्य समूह की रिपोर्ट (1978) है। यह रिपोर्ट दंतवाला समिति की रिपोर्ट के रूप में जानी जाती है, जो (ए) रोजगार पैदा करने (बी) बुनियादी न्यूनतम बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और (डी) समानता को बढ़ावा देने की चिंता से उत्पन्न हुई।

पंचायती राज और पंचवर्षीय योजनाएँ

स्वतंत्रता के पश्चात, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सामुदायिक विकास सी.सी.डी. तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा (एन.ई.एस.) कार्यक्रम क्रमशः 1952 तथा 1953 में शुरू किए गए। लेकिन वे अपने विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे। सी.डी. तथा एन.ई.एस. आंदोलन के कामकाज की समीक्षा से पता चला कि लोकप्रिय पहल को जगाने का इसका प्रयास इसके सबसे कम सफल पहलुओं में से एक था। विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम पहली योजना के अनुभव के आलोक में उठाया गया था, जिसमें कृषि के लिए ग्राम उत्पादन परिषद का विचार रखा गया था, नियोजन, ग्राम, खंड तथा जिला योजनाएं दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण की पूर्व संध्या पर तैयार की जानी थीं। तीसरी योजना में जिला तथा खंड योजनाओं के आधार पर ग्रामीण विकास के लिए राज्य योजनाएं तैयार करने की पद्धति का भी वर्णन किया गया था। 1969 में योजना आयोग ने जिला योजनाओं के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए। दिशा–निर्देशों में विकेंद्रीकृत योजना की आवश्यकता पर जोर दिया गया और स्थानीय सरकारी निकायों और प्रगतिशील किसानों की भागीदारी और उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा प्रशासनिक स्थिति के बीच सहमति और प्राथमिकताएं तय करने का सुझाव दिया गया।

विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए योजना संसाधनों का 41 प्रतिशत अलग रखने की समिति की सिफारिशों को लागू करने का भी प्रस्ताव है। इसमें पीआरआई द्वारा जुटाए गए योगदान से मेल खाने के लिए संयुक्त निधि और प्रोत्साहन अनुदान के रूप में एक अनुपात शामिल हो सकता है। इसके बाद राज्य स्तर पर क्षेत्रीय आवंटन जिलों द्वारा नीचे से की गई मांगों के आधार पर और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। विकेन्द्रीकृत नियोजन तंत्र को मजबूत करने के लिए, दृष्टिकोण पत्र ने जिला योजना के निर्माण में मदद करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक मुख्य नियोजन अवधि का सुझाव दिया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में विकेन्द्रीकृत शासन, योजना और विकास के विभिन्न प्रावधानों के बारे में एक व्यापक और समयबद्ध प्रशिक्षण–सह–जागरूकता निर्माण नीति की परिकल्पना की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंचायती राज पदाधिकारी सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं, उपलब्ध प्रौद्योगिकियों और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं से लैस हों, जिन्हें स्थानीय लोगों के बीच प्रसारित किया जाना है।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का मुख्य फोकस अधिक समावेशी विकास। इस योजना के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं: कृषि, सिंचाई और जल संसाधन: शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा और रोज़गार के साथ–साथ अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम। यह योजना इस बात पर ज़ोर देती है कि विकास का लाभ आबादी के सभी वर्गों तक पहुँचना चाहिए। लेकिन यह योजना अपने कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी विफल रही है, जैसे काले धन ने एक समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। यह योजना गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी, शोषण, बाल श्रम और अन्याय आदि को मिटा नहीं सकी।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ में इस अवधि के दौरान वैकल्पिक विकास परिदृश्य दिए गए हैं। योजना दस्तावेज़ में तीन परिदृश्यों की रूपरेखा दी गई है, जिनमें पाँच वर्षों में विकास हो सकता है। पहला परिदृश्य मजबूत समावेशी विकास है, जिसमें विकास औसतन 8.2 प्रतिशत हो सकता है। दूसरा परिदृश्य अपर्याप्त नीतिगत कार्रवाई पर विचार करता है, जहाँ नीति की व्यापक दिशा विकास के पक्ष में है, लेकिन अपेक्षित सुधारों का कार्यान्वयन धीमा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए व्यापक आर्थिक ढाँचे को पढ़ने से तीन प्रमुख चुनौतियाँ उभर कर आती हैं। संसाधन उपयोग दक्षता, सरकारी वित्त और बाह्य भुगतान के क्षेत्र में हैं।

पंचायतें और विभिन्न समितियाँ

पचास के दशक के मध्य में योजनाकारों ने नियोजन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें जिला नियोजन संरचना का मुख्य केंद्र होगा। 1957 में योजना आयोग ने श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया। अध्ययन दल ने सामुदायिक विकास खंडों और योजना परियोजनाओं के कामकाज का मूल्यांकन किया। अपनी रिपोर्ट में बलवंत राय मेहता समिति ने उल्लेख किया,

"जब तक हम एक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक संस्था की खोज या निर्माण नहीं करते हैं जो स्थानीय हितों, पर्यवेक्षण और देखभाल की आपूर्ति करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय उद्देश्यों पर धन का व्यय स्थानीय लोगों की जरूरतों और इच्छाओं के अनुरूप हो, उसे पर्याप्त शक्ति प्रदान करे और उसे उचित वित्त प्रदान करे, हम कभी भी स्थानीय हितों को जगाने और विकास के क्षेत्र में स्थानीय पहल को प्रोत्साहित करने में सक्षम नहीं होंगे। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में विकेंद्रीकरण की वकालत की गई।

साठ के दशक की शुरुआत में पंचायती राज संस्थाएँ यथोचित रूप से अच्छी तरह से काम करती थीं, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी कार्यात्मक क्षमता कम होने लगी।16भारत में पंचायत आंदोलन 1977 में अशोक मेहता समिति के गठन के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँच गया। इस समिति का गठन पंचायती राज संस्था के कामकाज की जाँच करने और उन्हें मज़बूत बनाने के उपाय सुझाने के लिए किया गया था ताकि एक विकेंद्रीकृत प्रणाली नियोजन और विकास को प्रभावी बनाया जा सके। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट (1978) ने दूसरी पीढ़ी की पंचायतों की नींव रखने का मार्ग प्रशस्त किया।

अशोक मेहता समिति की सिफारिशें –

पंचायती राज के लिए दो स्तरीय मॉडल का समर्थन किया गया – जिला परिषद और मंडल पंचायत। इन निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सभी विकास कार्य जिला परिषद के अधीन होने चाहिए। स्थान–विशिष्ट कार्यक्रमों के आधार पर कार्यों की विस्तृत सूची तैयार करना। पंचायती राज संस्थाओं को कराधान की शक्तियां प्रदान करके उन्हें संसाधन जुटाने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं, स्वैच्छिक एजेंसियों, सहकारी समितियों और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच बेहतर संपर्क।

इसके बाद, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए 1985 में जी.वी.के. राव समिति गठित की गई। समिति ने सहमति व्यक्त की कि नीति नियोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन की मूल इकाई जिला होना चाहिए, लेकिन इसने पंचायतों के लिए नियमित चुनाव की आवश्यकता पर बल दिया। इससे सहभागी लोकतंत्र को प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना, योजना–कार्यान्वयन और निगरानी को जिला और निचले स्तर पर पी.आर.आई. को सौंपने का सुझाव दिया गया।

केंद्र–राज्य संबंधों पर आयोग, जिसे लोकप्रिय रूप से सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा 9 जून 1983 को आरएस सरकारिया की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, जिसने निम्नतम स्तर पर विकेंद्रीकरण के विषय को भी छुआ था। 1988 में पीके थुंगन की अध्यक्षता में संसदीय सलाहकार समिति की एक उपसमिति का गठन किया गया था, जिसने निम्नतम स्तर पर विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर विचार किया था।

जिला नियोजन के लिए जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे का प्रकार। थुंगन समिति ने इस विषय की अधिक विस्तार से जांच की और संवैधानिक स्थिति के साथ तीन–स्तरीय संरचना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण और हर राज्य में वित्त आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि एकरूपता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक मॉडल पंचायती राजा अधिनियम बनाया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को गांव स्तर पर ही सरल विवादों को सुलझाने का अधिकार दिया गया। पंचायती राज निकायों की टीम पांच साल की अवधि के लिए होनी चाहिए।

पंचायती राज संस्थाओं का पतन

देश में पंचायती राज की स्थापना के लिए कई समितियां और योजनाएं बनाई गईं। इन समितियों और योजनाओं ने विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं के लिए कई प्रयास किए। लेकिन इन सभी विस्तृत कार्यक्रमों से वांछित परिणाम नहीं मिले। लोकप्रिय समर्थन की कमी थी। प्रशासन की समस्याएं और विकास कार्यक्रमों का उचित क्रियान्वयन अप्रत्याशित था। इस क्षेत्र में प्राप्त अनुभव ने सामुदायिक विकास संगठन के कामकाज की गहन जांच की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप योजना आयोग ने 1957 में बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक अध्ययन समिति नियुक्त की ताकि सुधारात्मक उपाय सुझाए जा सकें।

टीम ने पंचायती राज (लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण) की स्थापना की सिफारिश की – विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण आबादी के प्रतिनिधियों को सौंपना। उन्हें लगा कि स्थानीय हितों का विकास तभी हो सकता है जब संबंधित लोगों के पास अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण हो। विकास के क्षेत्र में स्थानीय पहल करने का यही एकमात्र तरीका था। पंचायती राज में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर निर्वाचित और संगठित रूप से जुड़े लोकतांत्रिक निकायों के तीन स्तर शामिल होने थे। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सिफारिशों का समर्थन किया गया। भारत के वास्तविक आयाम सामाजिक संरचनाओं और सोच की विविधता में परिलक्षित होते हैं।

पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 के अधिनियमन के माध्यम से पंचायती राज स्थापित करने वाले पहले कुछ राज्यों में से एक था। इसने स्थानीय निकायों के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत की गई, अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए दस साल की अवधि के लिए विशेष आरक्षण किए गए। हालाँकि, इस अवधि को और दस साल के लिए बढ़ा दिया गया ताकि उन्हें राष्ट्रीय और नागरिक मामलों के प्रबंधन में अपना पूरा हिस्सा मिल सके।

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा से मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि: स्थानीय निकायों की संस्थाओं के ग्रामीण ढांचे को ऊपर उठाने का मूल उद्देश्य ही बदल गया है। अब इसका उद्देश्य अधिक लोकतंत्रीकरण के बजाय पुनर्निर्माण करना है। सार्वभौमिक मताधिकार ने प्रत्येक नागरिक को स्थानीय निकायों के मामलों में पूरी तरह से भाग लेने और योगदान देने में सक्षम बनाया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के उन्मूलन ने स्थानीय निकायों के प्रशासन में एक व्यापक क्षितिज प्रदान किया। अब इकाइयाँ छोटे क्षेत्र पर आधारित थीं और इसलिए केवल प्रशासन के बजाय विकास पर केंद्रित थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन संस्थाओं के विकास पर अधिक जोर दिया गया। जिला परिषद के उन्मूलन के कारण पंचायतों के संरचनात्मक और संस्थागत पहलू कमजोर हो गए थे। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत के बीच जिले की पंचायत के साथ जैविक संबंध समाप्त हो गया। समय के साथ प्रशासन और राजनीतिक तंत्र उनके निकायों पर हावी हो गए। इसके परिणामस्वरूप पंचायतों के अधिकार और शक्तियों का धीरे–धीरे क्षरण हुआ, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधित्व की स्थिति कमजोर हुई।

REFERENCES

1. Krishna Reddy (2003). Indian History. New Delhi: Tata McGraw Hill. ISBN 978-0-07-048369-9.

2. Ramesh Chandra Majumdar (1977). Ancient India. Motilal Banarsidass Publishers. ISBN 978-81-208-0436-4.

3. V.D. Mahajan (2007). History of medieval India (10th ed.). New Delhi: S Chand. pp. 121, 122. ISBN 9788121903646.

4. Antonova, K.A.; Bongard-Levin, G.; Kotovsky, G. (1979). A History of India Volume 1. Moscow, USSR: Progress Publishers.

5. Gupta Dynasty – MSN Encarta. Archived from the original on 1 November 2009.

6. "India – Historical Setting – The Classical Age – Gupta and Harsha". Historymedren.about.com. 2 November 2009. Retrieved 16 May 2010.

7. Chandra, Satish. Medieval India: From Sultanate to the Mughals. p. 202.

8. "Article 1". Constitution of India. Law Ministry, GOI. Archived from the original on 2 April 2012. Retrieved 31 December 2015.

9. J.C. Aggarwal, S.P. Agrawal (1995). Uttarakhand: Past, Present, and Future. New DElhi: Concept Publishing. pp. 89–90.

10. "Nagaland History & Geography-Source". india.gov.in. Retrieved 17 June 2013.

11. "Himachal Pradesh Tenth Five Year Plan" (PDF). Retrieved 17 June 2013.

12. "The Punjab Reorganisation Act 1966" (PDF). india.gov.in. Retrieved 17 June 2013.